न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 77/2017 (223 आरटीए) मूलाराम वगै. बनाम सुखराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00118)

1 मूलाराम पुत्र श्री कुंभाराम,
2 भीयाराम पुत्र श्री कुंभाराम,
3 भाकरराम पुत्र रामुराम के कायम मुकाम,
3/1 पेम्पा पत्नी स्व. श्री भाकरराम,
3/2 कमला पत्नी स्व. श्री बाबूराम,
3/3 सुभाष पुत्र स्व. श्री बाबूराम उम्र 17 वर्ष अवयस्क,
3/4 मनीष पुत्र स्व. श्री बाबूराम उम्र 15 वर्ष अवयश्क,
3/5 गुड्डी पुत्री स्व. श्री बाबूराम उम्र 13 वर्ष अवश्यक,
3/6 श्रवण पुत्री स्व. श्री भाकरराम,
4 जीयाराम पुत्र श्री रामूराम
5 सोनाराम पुत्र श्री रामूराम

अपीलार्थी सं. 3/3 से 3/5 अवश्यक द्वारा उनकी प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री बाबूराम जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी सांवरीज, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

.... अपीलांट्स

बनाम

1 सुखराम पुत्र चैनाराम,
2 गैरा पत्नी श्री धनाराम,
3 भाखरराम पुत्र श्री धनाराम,
4 सहीराम पुत्र श्री धनाराम,
5 लूणाराम पुत्र श्री धनाराम,
6 किशनाराम पुत्र श्री लूम्बाराम,
7 धनी पत्नी श्री लूम्बाराम,
8 सुण्डाराम पुत्र श्री हरचंदराम,
9 बलवंताराम पुत्र श्री हरचंदराम,
10 बगड़ूराम पुत्र श्री हरचंदराम,
11 तेजाराम पुत्र श्री हरचंदराम,
12 हीराराम पुत्र श्री हरचंदराम,
13 फगलूराम पुत्र श्री बगताराम,
14 लालूराम पुत्र श्री बगताराम,
15 बीरबलराम पुत्र श्री बगताराम,

16 प्रहलादराम पुत्र श्री बगताराम,
17 धुड़ाराम पुत्र श्री कानाराम,
18 बुधाराम पुत्र श्री कानाराम,
19 पांचाराम पुत्र श्री कानाराम,
20 अमराराम पुत्र श्री कानाराम,
21 फगलूराम पुत्र श्री कानाराम,
22 सुरताराम पुत्र श्री कानाराम,
23 रामचंन्द्र पुत्र श्री कानाराम,
24 मनोरी पत्नी श्री भाखरराम,
25 मईराम पुत्र श्री भाखरराम,
26 श्रवण पुत्र श्री भाखरराम,
27 अशोक पुत्र श्री भाखरराम,
28 सुवटी पत्नी श्री चौखाराम,
29 बगडूराम पुत्र श्री चौखाराम,
30 भारमलराम पुत्र श्री चौखाराम,
31 हरभजराम पुत्र श्री चौखाराम,
32 सोहनराम पुत्र श्री चौखाराम,
33 समदा पुत्री श्री चौखाराम,
34 हीरा पुत्री श्री चौखाराम,
35 रोशनी पुत्री श्री चौखाराम,
36 लालाराम पुत्र श्री सांवताराम,
37 कुशला पुत्र श्री सावंताराम,
38 नरसिंहराम पुत्र श्री खमुराम,
39 धनाराम पुत्र श्री खमुराम,
40 बालकिशन पुत्र श्री हरदासराम,
41 पूनमचंद पुत्र श्री हरदासराम,
42 श्रीराम पुत्र श्री हरदासराम,
43 नारायणराम पुत्र श्री हुकमाराम,
44 अर्जुनराम पुत्र श्री हुकमाराम,
45 जोराराम पुत्र श्री हुकमाराम,
46 फगलूराम पुत्र श्री भीयाराम,
47 धीमाराम पुत्र श्री लाखाराम,
48 मोहनराम पुत्र श्री लाखाराम,
49 भजनाराम पुत्र श्री लाखाराम,
50 मोहनराम पुत्र श्री धूड़ाराम,
51 मगाराम पुत्र श्री धूड़ाराम,

52 लूंगा पत्नी श्री अजुर्नराम,
53 महीपाल पुत्र श्री अर्जनुराम,
54 अशोक कुमार पुत्र श्री अर्जनराम,
55 शिवप्रताप पुत्र श्री अर्जनराम,
56 सुनील कुमार पुत्र श्री अर्जनराम,
57 पुखराज पुत्र श्री अर्जनराम,
58 ओमप्रकाश पुत्र श्री अजुनराम सभी जाति विश्नोई निवासी खारा तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
59 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार फलोदी।
60 श्री मैनेजर थार आंचलिक ग्रामीण बैंके शाखाा सांवरीज तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी
दिनांक 08.08.2017 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 301/2012

उपस्थित :

1. अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया।
2. रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 58 की ओर से अधिवक्ता श्री बुधराम गोदारा।
3. रेस्पो. सं. 59 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4. रेस्पो. सं. 60 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 17.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर फलोदी के राजस्व वाद सं. 301/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के समक्ष धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलांट्स की ओर से राजस्व वाद सं. 301/2012 पेश कर निवेदन किया कि गांव सांवरीज नवसृजित गांव उदाणियों की ढाणी तहसील फलोदी में वादीगण की कब्जाशुदा भूमि खसरा नं. 51 रकबा 167 बीघा 19 बिस्वा, व खसरा नं. 51/1 रकबा 168 बीघा जो मूल खसरा नं. 51 से बना है। यह भूमि

सेटलमेंट के नक्शे में खसरा नं. 51 के रूप में दर्ज है। वादीगण की खातेदारी की भूमि मूल खसरा नं. 51 में वादीगण का कब्जा काश्त पीढ़ियों से चला आ रहा है जिसमें वादीगण की रहवासीय ढाणियां बनी हुई हैं तथा वादी मूलाराम का ट्यूबवैल बना हुआ है। मूल खसरा नं. 51 का रकबा 335 बीघा 19 बिस्वा वक्त पैमाइस था उतने ही रकबे पर वादीगण आज दिन तक काबिज हैं। वादीगण के गांव सांवरीज की पैमाइस संवत 1980 में की गई थी तथा संवत 1982, 1999 में बापी पट्टे जारी किए गए, इसके बाद संवत 2012 में भी नई पैमाइस की गई तथा प्रतिवादीगण का गांव खारा पोकरण जागीर का गांव था, जिसकी प्रथम पैमाइस संवत 2009 से शुरू होकर संवत 2012 में हुई। गांव खारा के नवसृजित गांव दयासागर की सरहद में प्रतिवादी सं. 1 से 46 की खातेदारी भूमि मूल खसरा नं. 747 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं. 748 रकाब 36 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा नं. 749 रकबा 289 बीघा 11 बिस्वा की 40 बीघा कुल 97 बीघा 9 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज करके खतोनी प्रतिवादीगण के नाम जारी कर दी तथा प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं. 747 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 748 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 749 रकबा में से 40 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 46 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं हैं। तथा मौके पर भी उतनी भूमि नहीं रही है। प्रतिवादीगण खारा की भूमि का नक्शा मिलान करने पर ग्राम सांवरीज की वादीगण की 97 बीघा 9 बिस्वा भूमि का ओवरलेप होता है, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का 97 बीधा 9 बिस्वा रकबा सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उनके खातेदारी रकबे से अधिक दर्ज कर नक्शा बना दिया है। इस राजस्व रिकार्ड की गलती से प्रतिवादीगण के दिलों में बदियांती व्याप्त हो जाने से भी वादीगण को उनके खातेदारी कब्जाशुदा भूमि से बेदखल कर जबरन कब्जा करना चाहते हैं इस नियत से दिनांक 11.07.2010 को वादीगण की तारबंदी व पत्थर के खूंटे तोड़ दिए गए तथा जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी देकर गए तब वादीगण ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 108/2010 प्रस्तुत कर दिनांक 22.07.2010 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की, जो दिनांक 05.04.2012 को दावे के निर्णय तक पुष्ठ कर दी गई प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होने से बार-बार जबरन कब्जा करने का कुप्रयास करते हैं जिसके लिए वादीगण द्वारा पुलिस थाना फलोदी में मुकदमा नं. 207/10, 298/10, 213/11, 286/11, एवं 258/12, 229/12, 290/12, 335/12 धारा 188, 447, 427, 452, 379 में पेश किया जिसमें बाद जांच प्रतिवादीगण के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किये हैं जो आज भी लंबित हैं। इसके बाद वादी मूलाराम ने गांव सांवरीज व गांव खारा की विवादित भूमि की पैमाइस भू-प्रबंध विभाग द्वारा टीम

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर
12/7

गठित करवाने का आदेश राजकोष में 6600/– जमा कर प्राप्त करके दिनांक 24–25.01.2011 को पैमाइस करवाई। जिसकी रिपोर्ट ग्राम सांवरीज की वादीगण भूमि खसरा नं. 51, 51/1 वादीगण के मौके के कब्जे व नक्शे अनुसार बिलकुल सही पाई गई तथा गांव खारा की प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं. 747, 748 व 749 में से 40 बीघा कुल 97 बीघा 9 बिस्वा भूमि नक्शे के अनुसार मौके पर नहीं पाई गई। जो 97 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम खारा की सरहद में नहीं हैं तथा 97 बीघा 9 बिस्वा भूमि का रकबा सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा भूल से अधिक दर्ज कर दिया गया था। उकतभूमि मोके पर वादीगण की भूमि खसरा नं. 51 व नया खसरा नं. 51 व 51/1 का भाग है तथा मौके पर कब्जा भी वादीगण का है जिसकी वादीण अपने पक्ष में खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है तथा उक्त रकबा भूमि गांव खारा नया ग्राम दया सागर के कुल रकबा में से कम किया जाकर हटवाए जाने के हकदार हैं तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी में भी उक्त रकबा कम करवाकर रिकार्ड दुरस्ती करवाने के वादीगण अधिकारी हैं। उक्तानुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम उदाणियां की ढाणी के मूल खसरा नं. 51 तथा वर्तमान खसरा नं. 51 रकबा 167 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नं. 51/1 रकबा 168 बीघा के वादीगण को खातेदार घोषि किए जाने तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 46 के ग्राम खारा नवसृजित गांव दयासागर के मूल खसरा नं. खसरा नं. 747 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं. 748 रकाब 36 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा नं. 749 रकबा 289 बीघा 11 बिस्वा की 40 बीघा कुल 97 बीघा 9 बिस्वा भूमि जिसके नए खसरा नं. 747, 748, 748/1, 748/2, 749, 749/1, 749/2, 749/3 व 749/4 में से कुल 97 बीघा 9 बिस्वा भूमि कम की जाकर रिकार्ड दुरस्त किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

विद्वान सहायक कलेक्टर ने वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को तलब किया प्रतिवादी सं. 4, 7, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 27 व 35 की ओर से वकील श्री रेवंतसिंह पातावत की ओर से अपना वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 35/5 की ओर वकील श्री सुमेरसिंह जी ने अपना वकालतनामा पेश किया, प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के उपरोक्त दावे का कोई जबाबदावा पेश नहीं किया तथा प्रतिवादीगण का जबाबदावा आदेश दिनांक 06.07.2016 के द्वारा बंद किए जाने का आदेश दिया गया तथा पत्रावली साक्ष्य मे रखी गई। इसके बाद वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वादी नं. 1 मूलाराम, वादी नं. 2 बीरबलराम पुत्र मानाराम विश्नोई निवासी दयासागर को प्रस्तुत करके बयान लेख बद्ध कराए तथा प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्य में फगलूराम पुत्र बगताराम , किशनाराम पुत्र लुम्बाराम को प्रस्तुत करके बयान लेखबद्ध करवाए, इसके बाद विद्वान

सहायक कलेक्टर ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2017 के द्वारा वादीगण के वाद को आंशिक स्वीकार कर वादीगण के ग्राम सांवरील नगया ग्राम उदाणियों की ढाणी के भूमि खसरा नं. 51 रकबा 167 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नं. 51/1 रकबा 168 बीघा भूमि वादी संख्या 1, 2 व 3 के कायम मुकाम 3/1, 3/2, 3/2/1, से 3/2/4 व 3/3 व 4 व 5 को जमाबंदी अनुसार खातेदार घोषित किए जाने का आदेश देकर वादीगण के पक्ष में डिक्री जारी की गई है परंतु विद्वान सहायक कलेक्टर ने ग्राम खारा के प्रतिवादीगण की खातेदारी में 97 बीघा 9 बिस्वा भूमि गलती से अधिक दर्ज हो जाने की वादीगण की इस्तदुआ पर रिकार्ड दुरस्ती का आदेश नहीं दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा ग्राम खारा में अधिक दर्ज विवादित 97 बीघा 9 बिस्वा रकबा को ग्राम खारा के क्षेत्रफल में से तथा प्रतिवादी सं. 1 से 46 की खातेदारी में से कम नहीं करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। वादीगण की ओर सेटलमेंट टीम की पैमाइस रिपोर्ट दिनांक 24-25.01.2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि अपने सबूत के तौर पर प्रस्तुत की गई तथा उक्त पैमाइस रिपोर्ट में ग्राम खारा के सेटलमेंट में खसरा नं. 747, 748 व 749 में से कुल 97 बीघा 9 बिस्वा रकबा गलती से अधिक दर्ज होना पाया गया है। उक्त पैमाइस रिपोर्ट विद्वान सहायक कलेक्टर की पत्रावली पर मौजूद है जिससे ग्राम खारा नवसृजित गांव दयासागर में स्थित प्रतिवादीगण की वादग्रस्त भूमि का 97 बीघा 9 बिस्वा अधिक दज हो जाना साबित है। जिसके अनुसार रिकार्ड दुरस्ती का आदेश दिया जाना विवाद के समुचित हल के लिए विद्वान सहायक कलेक्टर के लिए आवश्यक झा इस कारण गलती से प्रतिवादीगण की खातेदारी में अधिक दर्ज 97 बीघा 9 बिस्वा रकबा को कम कर रिकार्ड दुरस्ती किया जाना आवश्यक है। इस कारण अपीलार्थीगण वादीगण के पक्ष मे रिकार्ड दुरस्ती का वाद डिक्री किए जाने योग्य है। अतः निवेदन किया कि अपीलार्थीगण/वादीगण की अपील एवं रिकार्ड दुरस्ती के वाद को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 को संशोधित एवं दुरस्त की जाकर सेटलमेंट पैमाइस टीम की रिपोर्ट दिनांक 24-25.01.2011 के अनुसार ग्राम खारा नवसृजित ग्राम दयासागर के मूल खसरा नं. 747 रकबा 20 बीघा खसरा नं.

17/7 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

748 रकबिा 36 बीघा व खसरा नं. 749 के अधिक दर्ज रकबा 40 बीघा कुल रकबा 97 बीघा 9 बिस्वा प्रतिवादीगण के खातेदारी में से कम किया जाकर रिकार्ड खतोनी दुरस्त किए जाने तथा ग्राम दयासागर खारा के सेटलमेंट नक्शे को दुरस्त किए जाने का आदेश फरमावें।

5 रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बुधाराम गोदारा ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर विधिक त्रुटि एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट्स के नाम वक्त सेटलमेंट से दर्ज है, विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई आधार के अपीलांट्स को खातेदार घोषित किया है। जबकि उक्त भूमि रेस्पोडेंट्स के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज थी इस प्रकार पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय तनकीयात कायम नहीं की हैं तथा निर्णय तनकीवार विवेचन कर पारित करना था जो नहीं किया है अतः निर्णय त्रुटिपूर्ण है। रेस्पोडेंट्स वक्त सेटलमेंट से अपने खेत खसरा नं. 747, 748 व 749 पर निरंतर रूप से काबिज काश्त हैं फिर भी अपीलांट्स द्वारा सीमा के बिना ओवरलेप होते हुए भी ओवरलेप बता रहे हैं इस प्रकार रेस्पोडेंट्स ने अपना काउंटर क्लेम किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुने निर्णय पारित किया है जो अपास्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अंतिम डिक्री के लिए तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट तैयार करवाई जिस पर रेस्पोडेंट्स को कोई सूचना नहीं लगने दी व मौके पर तहसीलदार व पटवारी भी नहीं गए, कर्मचारियों ने अपीलांट्स से मिलावट करके मौका रिपोर्ट तैयार की व अंतिम डिक्री का रूप दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण के साक्ष्य पर कोई विवेचन किए वगैर निर्णय पारित किया है तथा इस प्रकार बनावटी तरीके से पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण हैं। अतः अपील अपीलांट्स खारिज करने का निवेदन किया रेस्पोडेंट्स ने पृथक से अपील सं. 102/2017 पेश कर रखी है जिसे स्वीकार करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 59 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित प्रभावित नहीं हो रहा है अतः प्रकरण के गुणावगुण के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व वाद संख्या 301/2012 में वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया है जिसका आधार यह लिया है कि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के साथ वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 51 रकबा 167 बीघा 19

बिस्वा ग्राम उदाणियों की ढाणी की जमाबंदी पेश की है जो प्रदर्श–2 व 3 है के अनुसार उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी अधिकारों की साबित है। तथा जिसकी ताईद गवाह पीडब्लू–1 व पीडब्लू–2 भी करते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में प्रतिवादीगण के खसरा नं. 747, 748, 748/1, 748/2, 749, 749/1, 749/2, 749/3, 749/4 की भूमि की जमाबंदी भी संलग्न है जो प्रदर्श–5 से 14 हैं के अनुसार उक्त भूमियां प्रतिवादीगण के खातेदारी की हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचन किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र साक्ष्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित नहीं हैं कि प्रतिवादीगण के उक्त खसरान के रकबा 40 बीघा पर वादीगण का कब्जाकाश्त हो एवं उक्त खसरा में से प्रत्येक में से कितना–कितना रकबा कुल 40 बीघा किस–किस स्थान पर वादीगण का कब्जा काश्त है एवं ग्राम सांवरीज का रकबा कम किया जाकर ग्राम खारा का रकबा वृद्धि किया जाना भी संभव नहीं बताया है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया जिसमें केवल ग्राम उदाणियों की ढाणी के खसरा नं. 50 रकबा 167 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नं. 51/1 रकबा 168 बीघा भूमि वादीगण को जमाबंदी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया है।

9 इस न्यायालय की राय में अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि वादीगण तो जमाबंदी के अनुसार पहले से ही खातेदार हैं जिसको पुनः घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। दावे के अनुसार वादी मूलाराम ने गांव सांवरीज व गांव खारा की विवादित भूमि की पैमाइस भू–प्रबंध विभाग द्वारा टीम गठित करवाने का आदेश राजकोष में 6600/– जमा कर प्राप्त करके दिनांक 24–25.01.2011 को पैमाइस करवाई। जिसकी रिपोर्ट ग्राम सांवरीज की वादीगण भूमि खसरा नं. 51, 51/1 वादीगण के मौके के कब्जे व नक्शे अनुसार बिलकुल सही पाई गई। इस प्रकार गांव खारा नया ग्राम दया सागर के कुल रकबा में से अधिक रकबा कम किया जाकर हटवाए जाने का प्रकरण है। वादीगण ने इस रकबे को केवल प्रतिवादीगण की खातेदारी में से कम करवाकर रिकार्ड दुरस्ती करवाने का अपना दावा गलत रूप से पेश किया है जिसे उन्होंने साक्ष्य व दस्तावेज से सिद्ध भी नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह रिलीफ नहीं दी है जो उचित है।

प्रकरण के तथ्यों व भू–प्रबंध विभाग की गठित टीम द्वारा दिनांक 24–25. 01.2011 को पैमाइस करके तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण एक गांव से रकबे को कम करने का है जैसाकि मौका रिपोर्ट दिनांक 24–25.1.

17/7 राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर

2011 में उल्लेख है कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नक्शानुसार ही है। लेकिन जब ग्राम खारा के उपलब्ध नक्शा से खसरा नं. 729 के कोने से ग्राम सांवरीज के नेखम सं. 10 तक नाप किया तो ग्राम सांवरीज के नक्शे से कायम किए गए चिन्ह से खसरा नं. 51 के अंदर लगभग 8 जरीब चला जाता है। जबकि ग्राम सांवरीज के नेखम सं. 8 ग्राम खारा व सांवरीज दोनों गांवों के नक्शे से एक ही स्थान पर आता है। ग्राम सांवरीज की नक्शा की नकल से नेखम संख्या 7 से 13 तक का ट्रेस तैयार कर ग्राम खारा के नक्शे की नकल पर नेखम संख्या 7 व 8 पर जमाने से लाल स्याही से दर्शायी गई लाइन व मूल नक्शे की लाइन के बीच का भाग सरहद का ओवरलेपिंग आता है। जो दोनों ही गांव में वक्त सेटलमेंट सामिल कर दिया है। जो एक गांव में से कम किया जाए तो तो ही मौका व नक्शा एक हो सकता है।

इस प्रकरण में सेटलमेंट की टीम ने ग्राम खारा के खसरा नं. 729 के कोने से पैमाइस की है जिससे सरहद की नाप गांव सांवरीज के 97 बीघा 9 बिस्वा रकबे तक चली जाती है इससे यह स्पष्ट होता है कि गांव खारा के खसरा नंबरान की नक्शा ट्रेस में लोकेशन व रकबा त्रुटिपूर्ण है जिसको शुद्ध किया जाना है। जिसके लिए पक्षकारान सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 निरस्त किए जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

17/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00118)

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.मूलाराम पुत्र श्री कुंभाराम		1.सुखराम पुत्र श्री चैनाराम
2.भीयाराम पुत्र श्री कुंभाराम	बनाम	2.गैरा पत्नी श्री धनाराम
3.भाखरराम पुत्र श्री रामुराम क कायम मुकाम		3.भाखरराम पुत्र श्री धनाराम
3/1 पेम्पा पत्नी स्व.श्री भाखरराम		4.सहीराम पुत्र श्री धनाराम
3/2 कमला पत्नी स्व श्री बाबूराम		5.लूणाराम पुत्र श्री धनाराम
3/3 सुभाष पुत्र स्व श्री बाबूराम		6.किशनाराम पुत्र श्री लूम्बाराम
3/4 मनीष पुत्र स्व.श्री बाबूराम		7.धनी पत्नी श्री लूम्बाराम
3/5 गुड्डी पुत्री स्व. श्री बाबूराम		8.सुण्डाराम पुत्र श्री हरचंदराम
3/6 श्रवण पुत्र स्व. श्री भाखरराम		9.बलवंताराम पुत्र श्री हरचंदराम
4. जीयाराम पुत्र श्री रामूराम		10.बगडूराम पुत्र श्री हरचंदराम
5.सोनाराम पुत्र श्री रामूराम		11.तेजाराम पुत्र श्री हरचंदराम
अपीलार्थी सं.3/3 से 3/5 आवश्यक द्वारा उनकी प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति कमला पत्नी स्व श्री बाबूराम जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी सांवरीज,तहसील फलोदी जिला जोधपुर।		12.हीराराम पुत्र श्री हरचंदराम
		13.फगलूराम पुत्र श्री बगताराम
		14.लालूराम पुत्र श्री बगताराम
		15.बीरबलराम पुत्र श्री बगताराम
		16.प्रहलादाराम पुत्र श्री बगताराम
		17.धुडाराम पुत्र श्री कानाराम
		18.बुधाराम पुत्र श्री कानाराम
		19.पांचाराम पुत्र श्री कानाराम
		20.अमराराम पुत्र श्री कानाराम
		21.फगलूराम पुत्र श्री कानाराम
		22.सुरताराम पुत्र श्री कानाराम
		23.रामचंन्द्र पुत्र श्री कानाराम
		24मनोरी पुत्र श्री भाखरराम
		25.मईराम पुत्र श्री भाखरराम
		26.श्रवण पुत्र श्री भाखरराम
		27.अशोक पुत्र श्री भाखरराम
		28.सुवटी पत्नी श्री चौखाराम
		29.बगडूराम पुत्र श्री चौखाराम
		30.भारमलराम पुत्र श्री चौखाराम
		31.हरभजराम पुत्र श्री चौखाराम
		32.सोहनराम पुत्र श्री चौखाराम
		33.समदा पुत्र श्री चौखाराम
		34.हीराराम पुत्र श्री चौखाराम
		35.रोशनी पुत्री श्री चौखाराम
		36.लालाराम पुत्र श्री सांवताराम
		37.कुशला पुत्र श्री सांवताराम
		38.नरसिहराम पुत्र श्री खमुराम
		39.धनाराम पुत्र श्री खमुराम
		40.बालकिशन पुत्र श्री हरदासराम
		41.पूनमचंद पुत्र श्री हरदासराम
		42.श्रीराम पुत्र श्री हरदासराम
		43.नारायणराम पुत्र श्री हुकमाराम
		44.अर्जुनराम पुत्र श्री हुकमाराम
		45.जोराराम पुत्र श्री हुकमाराम
		46.फगलूराम पुत्र श्री भीयाराम
		47.धीमाराम पुत्र श्री लाखाराम
		48.मोहनराम पुत्र श्री लाखाराम

17/7/18

		48.मोहनराम पुत्र श्री लाखाराम 49.भजनाराम पुत्र श्री लाखाराम 50.मोहनराम पुत्र श्री धूड़ाराम 51 मगाराम पुत्र श्री धूड़ाराम 52 लूंगाराम पत्नी श्री अर्जुनराम 53 महीपाल पुत्र श्री अर्जुनराम 54 अशोक कुमार पुत्र अर्जुनराम 55 शिवप्रताप पुत्र श्री अर्जुनराम 56 सुनील कुमार पुत्र अर्जुनराम 57 पुखराज पुत्र श्री अर्जुनराम 58.ओमप्रकाश पुत्र श्री अर्जुनराम सभी जाति विश्नोई निवासी खारा तहसील फलोदी जिला जोधपुर। 59.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार फलोदी 60. श्री मैनेजर थार आंचलिक ग्रामीण बैंके शाखा सांवरीज तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिकी सहायक कलेक्टर,फलोदी दिनांक 08.08.2017 अन्तर्गत राजस्व वाद सं 301/2012

यह अपील बतारीख 17/07/2018 बहाजरी अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया एवं रेस्पोडेंट सं.1 से 58 की ओर से अधिवक्ता श्री बुधराम गोदारा एवं रेस्पो सं. 59 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी,रेस्पो सं. 60 बावजूद सूचना अनुपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर,फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 निरस्त किए जाते है । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ......00.......) रूपये ....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का ....00....... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 17.07.2018 को जारी हो किया गया।

17/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	

17/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर